रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022021-225230
CG-DL-E-17022021-225230

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 678] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 2021/माघ 28, 1942
No. 678] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 2021/MAGHA 28, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2021

का.आ. 741(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 143 की उपधारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहचानविहीन निर्धारण स्कीम, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम पहचानविहीन निर्धारण (पहला संशोधन) स्कीम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगी।

2. पहचानविहीन निर्धारण स्कीम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा 2 के उप-पैरा (1) में,--

(i) खंड (x) में "ई-मेल खाता" शब्दों के स्थान पर "रजिस्ट्रीकृत ई-मेल खाता" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (xii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

'(xiiक) "विवाद समाधान पैनल" का वही अर्थ होगा जो उसका अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (15) के खंड (क) में है;

(iii) खंड (xv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

'(xvक) पात्र निर्धारिती का वही अर्थ होगा जो उसका अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (15) के खंड (ख) में है;'

(iv) खंड (xxiv) में "दृश्य टेलीफोनी" शब्दों के स्थान पर "वीडियो कान्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी" शब्द रखे जाएंगे।

(2) उक्त स्कीम के पैरा 5 के उपपैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(1) इस स्कीम में अधीन निर्धारण निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, अर्थात्:--

(i) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन निर्धारिती पर सूचना की तामील करेगा;

(ii) निर्धारिती, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को, खंड (i) में निर्दिष्ट सूचना के प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर अपना प्रत्युत्तर फाइल कर सकेगा;

(iii) जहां निर्धारिती ने,--

(क) अधिनियम की धारा 139 के अधीन या अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) या अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी सूचना के प्रत्युत्तर में अपनी आय की विवरणी दी है और अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन कोई सूचना, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा जारी की गई है, या

(ख) निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी सूचना के प्रत्युत्तर में अपनी आय की विवरणी दी नहीं है; या

(ग) अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन अपनी आय की विवरणी फाईल नहीं की है और निर्धारण अधिकारी जारी की अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना गई है,

वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारणई-निर्धारण केन्द्र निर्धारिती को यह संसूचित करेगा कि इस स्कीम के अधीन उसके मामले का निर्धारण पूरा किया जाएगा।

(iv) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, इस स्कीम के अधीन ई-निर्धारण के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त मामलों को, स्वाचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र में की किसी विनिर्दिष्ट निर्धारण इकाई को सौंपेगा;

(v) जहां कोई मामला निर्धारण इकाई को सौंपा जाता है वहां वह राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र से निम्नलिखित के लिए अनुरोध कर सकेगा—

(क) निर्धारिती या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति से, जिसे वह विनिर्दिष्ट करे ऐसी और जानकारी, दस्तावेजों या साक्ष्य अभिप्राप्त करने की;

(ख) सत्यापन इकाई द्वारा कतिपय जांच या सत्यापन करने की; और

(ग) तकनीकी इकाई से तकनीकी सहायता की ईप्सा करने की;

(vi) जहां निर्धारण ईकाई द्वारा, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य अभप्राप्त करने का अनुरोध किया गया है वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र ऐसे निर्धारिती या व्यक्ति को समुचित सूचना या अध्यपेक्षा, उसमें ऐसी जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय विनिर्दिष्ट करते हुए जारी करेगा;

(vii) यथास्थिति, निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति खंड (vi) में निर्दिष्ट सूचना का प्रत्युत्तर, उसमें विनिर्दिष्ट समय या ऐसे विस्तारित समय के भीतर जो इस बाबत आवेदन के आधार पर अनुज्ञात किया गया है, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को फाइल करेगा;

(viii) जहां निर्धारण इकाई द्वारा सत्यापन इकाई से कतिपय जांच या सत्यापन करने का अनुरोध किया गया है वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र द्वारा ऐसे अनुरोध को एक स्वाचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र में की सत्यापन ईकाई को सौंपा जएगा।

(ix) जहां निर्धारण इकाई द्वारा तकनीकी इकाई से तकनीकी सहायता की ईप्सा के लिए अनुरोध किया गया है वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र द्वारा ऐसे अनुरोध को एक स्वाचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र में किसी तकनीक इकाई को सौंपा जाएगा

(x) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र खंड (viii) या खंड(x) में निर्दिष्ट अनुरोध पर आधारित सत्यापन इकाई या तकनीकी इकाई से प्राप्त रिपोर्ट सम्बद्ध निर्धारण इकाई को भेजेगा;

(xi) जहां निर्धारिती खंड (vi) में निर्दिष्ट सूचना या अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना या अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना का या उपधारा (2क) के अधीन जारी निदेशों का पालन करने में असफल रहता है वहां राष्टीय ई-निर्धारण केन्द्र, ऐसे निर्धारिती पर, अधिनियम की धारा 144 के अधीन एक सूचना की तामील, उसमें विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर इस विषय पर कि उसके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उसका निर्धारण पूरा क्यों नहीं किया गया, कारण बताने का अवसर प्रदान करते हुए, करेगा।

(xii) निर्धारिती, खंड (xi) में निर्दिष्ट सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे समय के भीतर जो इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर विस्तारित किया जाए, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को अपना प्रत्युत्तर फाईल करेगा।

(xiii) जहां निर्धारिती, उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर या विस्तारित समय, यदि कोई हो, के भीतर प्रत्युत्तर फाइल करने में असफल रहता है वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र निर्धारण इकाई को ऐसी असफलता के बारे में सूचित करेगा।

(xiv) निर्धारण इकाई, अभिलेख पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात् निर्धारिती द्वारा, उसकी विवरणी के अनुसार संदेय आय या धनराशि को स्वीकार करते हुए या उसे प्रतिदेय धनराशि को स्वीकार करते हुए या उसे प्रतिदेय धनराशि को स्वीकार करते हुए अथवा ऐसी आय या धन राशि में फेरफार करते हुए लिखित रूप में एक प्रारूप निर्धारण आदेश या उस दशा में जहां खंड (xiii) में निर्दिष्ट सूचना राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र से प्राप्त होती है, वहां लिखित रूप में अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार एक प्रारूप निर्धारण आदेश तैयार करेगा और ऐसे आदेश की प्रति राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को भेजेगा;

(xv) निर्धारण इकाई प्ररूप निर्धारण आदेश करते समय उसमें आरंभ की जाने वाली शस्तिक कार्यवाहियों, यदि कोई हों, के ब्यौरे देगी;

(xvi) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट जोखिम प्रबंध रणनीति के अनुसार जिसके अंतर्गत स्वाचालित परीवक्षा साधन द्वारा जांच भी है, प्ररूप निर्धारण आदेश की जांच करेगा;

तदुपरांत वह,--

(क) निर्धारण को अंतिम रूप से उस दशा में विनिश्चित कर सकेगा जहां प्ररूप निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारिती के हित के प्रतिकुल किसी फेरफार का प्रास्ताव नहीं किया गया है और शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हों आशय करने के लिए आदेश और सूचना की एक प्रति को निर्धारिती पर ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय धन राशि या उसको शोध्य प्रतिदाय की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए तामिल करेगा; या

(ख) निर्धारिती को अवसर देने का विनिश्चय कर सकेगा यदि निर्धारिती से इस बारे में हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए कि ऐसा, फेरफार क्यों नहीं किया जाना चाहिए, सूचना की तामिल करके उसके हित के प्रतिकुल कोई फेरफार करने का प्रस्ताव किया गया है, या

(ग) किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारिण केन्द्र में की पुनर्विलोकन इकाई को स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए प्ररूप निर्धारण आदेश को सौंपे जाने का विनिश्चय कर सकेगा,

(xvii) पनुर्विलोकन इकाई, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र द्वारा निर्दिष्ट प्ररूप निर्धारण आदेश का पुनर्विलोकन करेगी तदुपरांत वह,--

(क) प्ररूप निर्धारण आदेश के संबंध में सहमति देने और ऐसी सहमति के बारे में राष्ट्रीय निर्धारण केन्द्र को संसूचित करने का विनिश्चय कर सकेगी; या

(ख) प्ररूप निर्धारण आदेशों में ऐसे फेरफार करने के बारे में सुझाव देने का विनिश्चय कर सकेगी जो वह ठीक समझे और अपने सुझाव राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को भेजेगी;

(xviii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र पुनर्विलोकन इकाई से ऐसी सहमति प्राप्त करने के पश्चात् खंड (xvi) के यथास्थिति, उपखंड (क) या उपखंड (ख) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी;

(xix) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, पुनर्विलोकन इकाई से फेरफार करने संबंधी सुझाव प्राप्त होने पर स्वाचालित आबंटन प्रणाली के मध्यम से, उस निर्धारण इकाई, से भिन्न जिनमें प्ररूप निर्धारण आदेश तैयार किया है, किसी निर्धारण इकाई को मामले सौंपेगी;

(xx) निर्धारण इकाई, पुनर्विलोकन इकाई द्वारा सुझाए गए फेरफारों पर विचार करने के पश्चात् राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को अंतिम प्ररूप निर्धारण आदेश भेजेगी;

(xxi) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, अंतिम प्ररूप निर्धारण आदेश प्राप्त करने के पश्चात् खंड (xvi) के, यथास्थिति उपखंड (क) या उपखंड (ख) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा;

(xxii) निर्धारिती उस दशा में, जहां कारण बताओ सूचना की उस पर तारीख खंड (xvi) के उपखंड (ख) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की गई है, सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पहले अथवा ऐसे समय के भीतर, जो निमित्त आवेदन के आधार पर विस्तारित किया गया है, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को अपना प्रत्युत्तर देगा;

(xxiii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र,--

(क) जहां खंड (xxii) के अनुसार कारण बताओ सूचना को प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है,

(अ) उस दशा में, जहां प्ररूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्ररूप निर्धारण आदेश किसी पात्र निर्धारिती के संबंध में है और उसमें कोई ऐसा फेरफार करने का प्रस्ताव है जो ऐसे निर्धारिती के हित के प्रतिकूल है, प्ररूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्ररूप निर्धारण आदेश ऐसे निर्धारिती को अग्रेषित करेगा; या

(आ) किसी अन्य दशा में, प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्ररूप निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारण को अंतिम रूप देगा और ऐसे आदेश और सूचना की प्रति की तामील, निर्धारिती पर शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हो, आरंभ करने के लिए, ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय धनराशि या उसको शोध्य किसी रकम के प्रतिदाय को विनिर्दिष्ट करते हुए मांग सूचना के साथ करेगा;

(ख) किसी अन्य दशा में निर्धारिती द्वारा दिया गया प्रत्युत्तर निर्धारण इकाई को भेजेगा;

(xxiv) निर्धारण इकाई खंड (xxiii) के उपखंड (ख) में यथानिर्दिष्ट निर्धारिती, द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर पर विचार करने के पश्चात् एक पुनरीक्षित प्ररूप निर्धारण आदेश करेगा और उसे राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को भेजेगा;

(xxv) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, पुनरीक्षित प्ररूप निर्धारण आदेश के प्राप्त होने पर—

(क) यदि पुनरीक्षित प्ररूप निर्धारण आदेश में प्रस्तावित फेरफार, प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्ररूप निर्धारण आदेश की तुलना में निर्धारिति के हित के प्रतिकूल नहीं हैं, और—

(अ) उस दशा में जहां पुनरीक्षित प्ररूप आदेश किसी पात्र निर्धारिती के संबंध में है और प्ररूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्ररूप निर्धारण आदेश में प्रस्तावित कोई फेरफार ऐसे निर्धारिती के हित के प्रतिकूल है तो ऐसा पुनरीक्षित प्ररूप निर्धारण आदेश ऐसे निर्धारिती को अग्रेषित करेगा;

(आ) किसी अन्य दशा में पुनरीक्षित निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारण को अंतिम रूप देगा और ऐसे आदेश और सूचना की प्रति की तामील, निर्धारिती पर शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हो, आरंभ करने के लिए, ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिति द्वारा संदेय धनराशि या उसको शोध्य किसी रकम के प्रतिदाय को विनिर्दिष्ट करते हुए मांग सूचना के साथ करेगा;

(ख) यदि पुनरीक्षित प्ररूप निर्धारण आदेश में प्रस्तावित फेरफार, प्ररूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्ररूप निर्धारण आदेश की तुलना में निर्धारिती के हित के प्रतिकूल है तो निर्धारिती को उस पर यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए कि प्रस्तावित फेरफार क्यों नहीं किए जाने चाहिए, सूचना की तामील करके अवसर प्रदान;

(xxvi) खंड (xxiii), खंड (xxiv) और खंड (xxv) में अधिकथित प्रक्रिया यथाआवश्यक परिवर्तन सहित खंड (xxv) के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट सूचना को लागू होगी;

(xxvii) जहां प्ररूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्ररूप निर्धारण आदेश या पुनरिक्षित निर्धारण आदेश खंड (xxiii) के उपखंड (क) की मद (अ) या खंड (xxv) के उपखंड (क) की मद (अ) के अनुसार पात्र निर्धारिती को अग्रेषित किया जाता है, वहां ऐसा निर्धारिती अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को फेरफार की अपनी स्वीकृति फाइल करेगा;

(xxviii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र,--

(क) खंड (xxvii) के अनुसार स्वीकृति प्राप्त होने पर; या

(ख) यदि अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पात्र निर्धारिती से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होते हैं,

अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप देगा और निर्धारिती पर ऐसे निर्धारण के आधार पर ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय धनराशि या उसको प्रतिदेय कोई रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए मांग सूचना के साथ शास्ति कार्यवाही, यदि कोई हो, आरंभ करने की सूचना और ऐसे आदेश की प्रति की तामील करेगा;

(xxix) जहां पात्र निर्धारिती विवाद समाधान पैनल को अपने आक्षेप फाइल करता है, वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी निदेशों के प्राप्त होने पर ऐसे निदेशों को संबद्ध निर्धारण इकाई को अग्रेषित करेगा;

(xxx) निर्धारण इकाई, अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी निदेशों के अनुरूप अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (13) के अनुसार एक प्ररूप निर्धारण आदेश तैयार करेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को भेजेगा;

(xxxi) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, खंड (xxx) में निर्दिष्ट प्ररूप निर्धारण आदेश के प्राप्त होने पर, अधिनियम की धारा 144 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप देगा और निर्धारिती पर, ऐसे आदेश के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय धनराशि या उसको शोध्य प्रतिदेय की कोई रकम विनिर्दिष्ट करते हुए मांग सूचना के साथ ऐसे आदेश की प्रति और शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हो, प्रारंभ करने की सूचना की तामील करेगा;

(xxxii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, निर्धारण पूरा होने के पश्चात् मामले का सभी इलैक्ट्रानिक अभिलेख, ऐसी कार्रवाई के लिए, जो अधिनियम के अधीन अपेक्षित हो, उक्त मामले पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को अंतरित करेगा।"

(3) उक्त स्कीम के पैरा 11 के उपपैरा (2) में,--

(i) पहली पंक्ति में "उपांतरण" शब्द के स्थान पर "फेरफार" शब्द रखा जाएगा;

(ii) पहली और दूसरी पंक्ति में "प्रारूप निर्धारण आदेश" शब्दों के स्थान पर "या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश या पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश" शब्द रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 6/2021/फा.सं.370149/154/2019-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ.3264(अ), तारीख 12 सितंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।